भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3819
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2019

टेलीफोन एक्सचेंज

3819. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले; श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे; डॉ. सुभाष रामराव भामरे; श्री कुलदीप राय शर्मा; डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे; श्री डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.; श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटीलः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज के विकास के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;
(ग) आज की तिथि तक राज्य-वार और स्थान-वार कार्य नहीं कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या देश के ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज की कमी ने सुगम संचार नेटवर्क को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण और उन्नयन नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) सरकार द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से टेलीफोन एक्सचेंजों के सुचारु संचालन और वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास करने के लिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है जबकि दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास करने के लिए वित्तीय आवंटन करते हैं।

जारी.....2

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने यह सूचित किया है कि उसके दो लाइसेंस-प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) नामत: कर्नाटक (मासागुप्पी) तथा पश्चिम बंगाल (बारीपारा, पतीकाबारी, गोसाबा, करंजली, रासकुंडु तथा बड़ा बाजार) के 7 एक्सचेंज कार्य नहीं कर रहे हैं।

(घ) जी, नहीं। इस समय ग्रामीण और कम विकसित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों सहित देश की लगभग 95% आबादी को मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इस प्रकार एक्सचेंजों की कमी के कारण संचार नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ङ) दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने कारोबार की आवश्यकताओं के आधार पर और प्रौद्योगिकीय विकास की तर्ज पर अपने टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करते रहते हैं।

(च) बीएसएनएल अपने मौजूदा एक्सचेंजों का उन्नयन करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है:

(i) बीएसएनएल ने सी-डॉट टीडीएम टेलीफोन एक्सचेंजों को इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित एक्सचेंजों से बदलने की योजना बनाई है तथा 98% परियोजना पूरी कर ली गई है।

(ii) बीएसएनएल ने नवीन प्रौद्योगिकी वाले टीडीएम स्विचों को आईपी आधारित नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क (एनजीएन) एक्सचेंजों से बदलने की भी योजना बनाई है। कुल 9.37 मिलियन लाइनों को बदला जाना है। इस क्रम में 5.47 मिलियन लाइनों को बदलने/स्तरोन्नत करने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है तथा 2.3 मिलियन लाइनों को बदलने/स्तरोन्नत करने का कार्य जारी है।

जारी.....3

अनुबंध-I

सितंबर, **2019** की स्थिति के अनुसार, देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र. सं.	लाइसेंस-प्राप्त सेवा क्षेत्र का नाम	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना को छोड़कर)	1,392	294	1,686
	तेलंगाना	667	299	966
2	असम	363	182	545
3	बिहार (झारखंड को छोड़कर)	907	215	1,122
	झारखंड	247	180	427
4	दिल्ली	0	382	382
5	गुजरात	1,649	553	2,202
6	हरियाणा	699	239	938
7	हिमाचल प्रदेश	563	82	645
8	जम्मू एवं कश्मीर	183	111	294
9	कर्नाटक	2,118	614	2,732
10	केरल	1,109	274	1,383
11	कोलकाता	0	466	466
12	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ को छोड़कर)	1,576	698	2,274
	छत्तीसगढ़	313	214	527
13	महाराष्ट्र (मुंबई व गोवा को छोड़कर)	3,079	660	3,739
	गोवा	79	64	143
14	मुंबई	0	301	301
15	अरुणाचल प्रदेश	66	26	92
	मणिपुर	25	18	43
	मेघालय	29	22	51
	मिजोरम	29	26	55
	नागालैंड	41	20	61
	त्रिपुरा	51	31	82
16	ओडिशा	802	278	1,080
17	पंजाब	1,115	293	1,408
18	राजस्थान	1,302	409	1,711
19	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	1,183	838	2,021
	चेन्नई	82	271	353
20	उत्तर प्रदेश पूर्व	860	532	1,392
21	उत्तर प्रदेश पश्चिम (उत्तराखंड को छोड़कर)	499	452	951
	उत्तराखंड	259	125	384
22	पश्चिम बंगाल (अण्डमान एवं निकोबार तथा सिक्किम को छोड़कर)	894	222	1,116
	अण्डमान एवं निकोबार	44	8	52
	सिक्किम	18	14	32
	कुल	**22,243**	**9,413**	**31,656**

******